प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 173 बी.एन.एस.एस.)

बुक नं0

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2025
   प्र0इ0रि0सं0............191.../2025 दिनांक ...24/07/2025......
   (I) धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 धारा 120बी आईपीसी एवं धारा 13(1)(बी) सपठित 13(2), 12 पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023
   (II) अधिनियम..............................धाराऐं ....
   (III) अधिनियम..............................धाराऐं......................................
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराऐं...
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..............670........समय...07:14 Pm..
   (ब) अपराध घटने का दिन......................दिनांक.........................समय.......
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक...................................समय.......
3. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :-
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
   (ब) पता - ....
   ....बीट संख्या...............................जरायमदेही सं.
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो.........पुलिस थाना..............
   ....जिला..................
5. परिवादी/सूचनाकर्ता :- गोपनीय शिकायत
   (अ) नाम -
   (ब) पिता/पति का नाम
   (स) जन्म तिथि/वर्ष...
   (द) राष्ट्रीयता...
   (य) पासपोर्ट संख्या...................................... जारी होने की तिथि..........
   जारी होने की जगह...
   (र) व्यवसाय...
   (ल) पता -
6. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विद्विष्ठियों सहित :-
   1. श्री सुजानाराम चौधरी पुत्र श्री रेखाराम चौधरी निवासी कुशालपुरा तहसील भीनमाल जिला जालोर हाल परिवहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय सिरोही
   2. श्रीमती पंखु चौधरी पत्नी श्री सुजानाराम चौधरी निवासी कुशालपुरा तहसील भीनमाल जिला जालोर
   3. अन्य

7. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :- कोई विलम्ब नही

8. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियाँ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य

10. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..

11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाऐं):-

महोदय,

प्राप्त गोपनीय शिकायत संख्या बी.एन./138/2024 के गोपनीय रूप से किये गये सत्यापन से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी श्री सुजानाराम चौधरी पुत्र श्री रेखाराम चौधरी निवासी कुशालपुरा तहसील भीनमाल जिला जालोर के रहने वाले है। संदिग्ध अधिकारी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2012 परिवहन विभाग में पदस्थापित हुआ तथा वर्तमान में जिला परिवहन कार्यालय सिरोही में परिवहन निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती पंखु चौधरी के साथ हुआ है। संदिग्ध अधिकारी श्री सुजानाराम चौधरी के मोबाईल नं0 9950183322, PAN NUMBER– AEFPC5507B, AADHAR NUMBER– 3095-7737-5438 तथा संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती पंखु चौधरी के PAN NUMBER– CJNPD2477G, AADHAR NUMBER 3287-3925-6215 होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी ने अपने सेवाकाल में स्वयं व अपनी पत्नी श्रीमती पंखु चौधरी व पुत्र श्री प्रकाश चौधरी के नाम भीनमाल, जालोर, माउण्ट आबू, जोधपुर में महत्वपूर्ण लोकेशन की परिसम्पत्तियों में निवेश किया जाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-(1.) आवासीय मकान ग्राम कुशालपुरा तहसील भीनमाल जिला जालोर (2.) आवासीय मकान नं 267 सी खसरा नं 341 ग्राम पाल आशापूर्णा सिटी जिला जोधपुर (3.) आवासीय मकान संख्या 12/46 बी (मूल मकान संख्या 12/46 का पश्चिमी हिस्सा) राजस्थान आवासन मण्डल की चौपासनी हाउसिंग बोर्ड योजना जोधपुर (4.) दुकान संख्या 19 मसूरिया सेक्शन 04 सेक्टर बी शास्त्रीनगर जोधपुर (5.) भूखण्ड पटटा नम्बर 2024/131 ग्राम धुण्डई व टोरना की नई पुरानी आबादी माउण्ट आबू सिरोही (6.) मकान सख्या 36 अडडा लकडा योजना माउण्ट आबू, सिरोही (7.) आवासीय प्लाट संख्या 26 अम्बिका नगर भीनमाल जिला जालोर (8.) आवासीय प्लाट संख्या 27 अम्बिका नगर भीनमाल जिला जालोर (9.) खसरा नंबर 6899/2223 में एक आवासीय प्लाट जालोर चक नं 03 आरटीओ आफिस के सामने जिला जालोर (10.) प्लाट संख्या 244 खानपुर रामसीन रोड तहसील भीनमाल जिला जालोर (11.) प्लाट संख्या 245 खानपुर रामसीन रोड तहसील भीनमाल जिला जालोर (12.) प्लाट संख्या 283 खानपुर रामसीन रोड तहसील भीनमाल जिला जालोर (13.) प्लाट संख्या 284 खानपुर रामसीन रोड तहसील भीनमाल जिला जालोर (14.) खसरा संख्या 277,278,279,280,461,462,464 ग्राम नरता तहसील भीनमाल जिला जालोर में है। उक्त समस्त परिसम्पतियों पर लगभग 3,34,97,376/ रूपये व्यय करने का अनुमान है तथा

वर्तमान में बैंक खातो बैलेन्स लगभग 11,90,134 है। संदिग्ध अधिकारी की अर्जित परिसम्पतियां लगभग 3,46,87,510/ रूपये की होने का अनुमान है।

संदिग्ध अधिकारी के दो पुत्र है, संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्रों की शिक्षा में अब तक लगभग 3,00,000/ रूपये व्यय करने का अनुमान है।

गोपनीय सत्यापन से संदिग्ध अधिकारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य एवं आम शोहरत आम जनता के बीच में भ्रष्ट अधिकारी के रूप में होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। सूत्रो से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा वाहन पंजीकरण लाईसेंस जारी करने, गुजरात बार्डर पर अवैध वसूली और वाहन निरीक्षण जैसी सामान्य सेवाओं के लिए नियमित रूप से रिश्वत प्राप्त की जाकर भ्रष्ट तरीके से आय से अधिक सम्पति अर्जित की है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा भ्रष्ट तरीके से अर्जित आय से स्वयं, उसकी पत्नी श्रीमती पंखु चौधरी व पुत्र श्री प्रकाश चौधरी के नाम पर परिसम्पतियां अर्जित की है। संदिग्ध अधिकारी की वैध आय, खर्च एवं अर्जित परिसम्पत्तियों का ब्यौरा प्रोफार्मानुसार निम्न है:-

परिशिष्ट "अ"

संदिग्ध अधिकारी श्री सुजानाराम चौधरी, परिवहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय सिरोही की चैक पिरियड वर्ष 2012 से पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियां: -

कं सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	शून्य	शून्य

परिशिष्ट "ब"

संदिग्ध अधिकारी श्री सुजानाराम चौधरी, परिवहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय सिरोही की चैक पिरियड वर्ष 2012 से खाना तलाशी दिनांक तक में अर्जित परिसम्पत्तियां:-

कं सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	संदिग्ध अधिकारी श्री सुजानाराम चौधरी के नाम से एक आवासीय मकान कुशालपुरा तहसील भीनमाल जिला जालोर में कुल क्षेत्रफल 250 वर्गगज (2249 वर्गफीट) क्षेत्रफल है। उक्त भूखण्ड पर वर्तमान में दो मंजिला निर्माण कार्य किया हुआ है जिसके निर्माण व साज सज्जा में करीब 4498(वर्गफीट) X 1000 = 44,98,000 रूपये निर्माण में व्यय करने का अनुमान है। उक्त मकान पैतृक भूमि पर बना हुआ है। इस प्रकार सम्पूर्ण मकान में कुल 44,98,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	44,98,000
2	संदिग्ध अधिकारी श्री सुजानाराम चौधरी के नाम से एक भूखण्ड संख्या 267 सी ग्राम पाल तहसील एवं जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 341 आशापूर्णा सिटी में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 186.66 वर्गगज हो दो तरफ बाउण्ड्री बनी हो दिनांक 24.09.2020 का	72,31,641

	20,14,372 रूपये में कय करने का अनुमान है। उक्त भूखण्ड पर रजिस्ट्री एवं स्टाम्प के रूप में 1,77,269 रूपये खर्च करने का अनुमान है। उक्त भूखण्ड पर वर्तमान में दो मंजिला निर्माण कार्य किया हुआ है जिसके निर्माण व साज सज्जा में करीब 1680 X 2 X 1500 = 50,40,000 रूपये का व्यय होने का अनुमान है। अतः उक्त भूखण्ड पर सम्पूर्ण खर्च के रूप में 72,31,641 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
3	संदिग्ध अधिकारी श्री सुजानाराम चौधरी एवं श्रीमती अक्षमिता पत्नि श्री श्याम सिंह राठौड निवासी 16-बी चन्द्रशेखर आजाद नगर सैती दोनो के सयुक्त रूप से पटटा नम्बर 2024/131 क्षेत्रफल 232.49 वर्गमीटर ग्राम धुण्डई व टोरना की नई पुरानी आबादी माउण्ट आबू में स्थित हो दिनांक 07.02.2025 को 12,90,648 रूपये में खरीद करने का अनुमान है। उक्त भूखण्ड पर रजिस्ट्री एवं स्टाम्प के रूप में 1,13,578 रूपये खर्च करने का अनुमान है।अतः उक्त भूखण्ड पर सम्पूर्ण खर्च के रूप में 14,04,226 रूपये व्यय करने का अनुमान है **चुंकि उक्त भूखण्ड पर संदिग्ध अधिकारी का आधा भाग होने से उक्त भूखण्ड पर कुल 07,02,113 रूपये व्यय करने का अनुमान है।**	**07,02,113**
4	संदिग्ध अधिकारी श्री सुजानाराम चौधरी एवं श्रीमती अक्षमिता पत्नि श्री श्याम सिंह राठौड निवासी 16-बी चन्द्रशेखर आजाद नगर सैती दोनो के सयुक्त रूप से एक भूखण्ड संख्या 36 कुल क्षेत्रफल 3977.57 वर्गफीट होकर अडडा लकडा योजना माउण्ट आबू में स्थित है दिनांक 07.12.2023 को 1,20,00,000 रूपये में खरीद करने का अनुमान है। उक्त भूखण्ड पर रजिस्ट्री एवं स्टाम्प के रूप में 10,56,000 रूपये खर्च करने का अनुमान है । अतः उक्त भूखण्ड पर सम्पूर्ण खर्च के रूप में 1,30,56,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है **चुंकि उक्त भूखण्ड पर संदिग्ध अधिकारी का आधा भाग होने से उक्त भूखण्ड पर कुल 65,28,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है।**	**65,28,000**
5	संदिग्ध अधिकारी सुजनाराम चौधरी के नाम एक आवासीय प्लाट संख्या 26 क्षेत्रफल 150 वर्गगज अम्बिका नगर भीनमाल जिला जालौर में स्थित हो दिनांक 06.05.2014 को 3,72,735 रूपये में कय करने का अनुमान है उक्त प्लाट पर रजिस्ट्री एव स्टाम्प डयुटी के रूप में 18640 व पटटे के रूप में 14,300 रूपये खर्च करने का अनुमान है। इस प्रकार उक्त प्लाट पर सम्पूर्ण खर्च के रूप में 4,05,672 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	4,05,672
6	संदिग्ध अधिकारी सुजनाराम चौधरी के नाम एक आवासीय प्लाट संख्या 27 क्षेत्रफल 150 वर्गगज अम्बिका नगर भीनमाल जिला जालौर में स्थित हो दिनांक 06.05.2014 को 3,72,735 रूपये में	4,05,672

	क्रय करने का अनुमान है उक्त प्लाट पर रजिस्ट्री एव स्टाम्प डयुटी के रूप में 18640 व पटटे के रूप में 14,300 रूपये खर्च करने का अनुमान है। इस प्रकार उक्त प्लाट पर सम्पूर्ण खर्च के रूप में 4,05,672 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
7	संदिग्ध अधिकारी सुजानाराम चौधरी व भाई मकनाराम चौधरी दोनो के संयुक्त रूप से खसरा नंबर 6899/2223 में स्थित आवासीय प्लाट जो कि 2200.87 वर्गमीटर जालोर चक नं 03 आरटीओ ऑफिस के सामने जिला जालोर में स्थित हो दिनांक 26.08.2016 को 65,14,575 रूपये में क्रय करना ज्ञात हुआ है उक्त प्लाट पर रजिस्ट्री एवं स्टाम्प के रूप में 4,56,330 रूपये खर्च करने का अनुमान है । अतः उक्त प्लाट पर सम्पूर्ण खर्च के रूप में 69,70,905 रूपये व्यय करने का अनुमान है। चूंकि उक्त प्लाट दोनो भाईयो का संयुक्त होने से संदिग्ध अधिकारी द्वारा कुल 34,85,452 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	34,85,452
8	संदिग्ध अधिकारी सुजनाराम चौधरी के पुत्र श्री प्रकाश चौधरी उम्र 13 वर्ष के नाम एक व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 19 मय दुकान क्षेत्रफल 378.09 वर्गफुट (जिसमे से 350 वर्गफुट पटटीपोश निर्माण) वाके मसूरिया सेक्शन 04 सेक्टर बी शास्त्रीनगर जोधपुर में स्थित हो दिनांक 31.05.2024 को 32,00,000 रूपये में खरीद करने का अनुमान है। उक्त व्यवसायिक भूखण्ड पर रजिस्ट्री एवं स्टाम्प के रूप में 2,40,000 रूपये खर्च करने का अनुमान है। अतः उक्त व्यवसायिक भूखण्ड पर सम्पूर्ण खर्च के रूप में 34,40,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	34,40,000
9	संदिग्ध अधिकारी के पिता जी रेखाराम चौधरी एवं संदिग्ध अधिकारी की पत्नि पंखु चौधरी के नाम एक मकान संख्या 12/46-बी (जो मूल मकान संख्या 12/46 का पश्चिमी हिस्सा) क्षेत्रफल 118.25 वर्गमीटर हो राजस्थान आवासन मण्डल की चौपासनी हाउसिंग बोर्ड योजना जोधपुर में स्थित हो दिनांक 21. 12.2021 को 1,10,12,161 रूपये में क्रय करने का अनुमान है। उक्त मकान पर रजिस्ट्री एवं स्टाम्प के रूप में 9,69,071रूपये खर्च करने का अनुमान है। अतः सम्पूर्ण मकान पर कुल 1,19,81,232 रूपये व्यय करने का अनुमान है। चूंकि उक्त फ्लेट में ससुर बहु दोनो का संयुक्त होने से संदिग्ध की पत्नि द्वारा कुल 34,85,452 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	59,90,616
10	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि पंखु चौधरी के नाम एक खसरा संख्या 277,278,279,280,461,462,464 गांव नरता, भीनमाल जिला जालोर में स्थित हो दिनांक 07.06.2021 को 1,50,000 रूपये में क्रय करने का अनुमान है।उक्त भूमि पर रजिस्ट्री एवं स्टाम्प के रूप में 11,250 रूपये खर्च करने का अनुमान है। अत उक्त	1,61,250

	भूमि पर सम्पूर्ण खर्च के रूप में 1,61,250 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
11	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि पंखु चौधरी के नाम एक प्लाट संख्या 244 क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज खानपुर रामसीन रोड तहसील भीनमाल जिला जालोर में स्थित हो दिनांक 29.10.2013 को 1,56,000 रूपये में कय करने का अनुमान है। उक्त भूमि पर रजिस्ट्री एवं स्टाम्प के रूप में 6,240 रूपये खर्च करने का अनुमान है। अत उक्त भूमि पर सम्पूर्ण खर्च के रूप में 1,62,240 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	1,62,240
12	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि पंखु चौधरी के नाम एक प्लाट संख्या 245 क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज खानपुर रामसीन रोड तहसील भीनमाल जिला जालोर में स्थित हो दिनांक 29.10.2013 को 1,56,000 रूपये में कय करने का अनुमान है।उक्त भूमि पर रजिस्ट्री एवं स्टाम्प के रूप में 6,240 रूपये खर्च करने का अनुमान है। अतं उक्त भूमि पर सम्पूर्ण खर्च के रूप में 1,62,240 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	1,62,240
13	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि पंखु चौधरी के नाम एक प्लाट संख्या 283 क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज खानपुर रामसीन रोड तहसील भीनमाल जिला जालोर में स्थित हो दिनांक 29.10.2013 को 1,56,000 रूपये में कय करने का अनुमान है।उक्त भूमि पर रजिस्ट्री एवं स्टाम्प के रूप में 6,240 रूपये खर्च करने का अनुमान है। अत उक्त भूमि पर सम्पूर्ण खर्च के रूप में 1,62,240 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	1,62,240
14	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि पंखु चौधरी के नाम एक प्लाट संख्या 284 क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज खानपुर रामसीन रोड तहसील भीनमाल जिला जालोर में स्थित हो दिनांक 29.10.2013 को 1,56,000 रूपये में कय करने का अनुमान है।उक्त भूमि पर रजिस्ट्री एवं स्टाम्प के रूप में 6,240 रूपये खर्च करने का अनुमान है। अत उक्त भूमि पर सम्पूर्ण खर्च के रूप में 1,62,240 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	1,62,240
15	संदिग्ध अधिकारी सुजानाराम चौधरी के आईसीआईसी के बैंक खाता संख्या 682401412216 में दिनांक 30.06.2025 तक शेष बैलेन्स 45590 रूपये	45590
16	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती पंखु चौधरी के कोटक महिन्द्रा बैक खाता संख्या 0912150107 में दिनांक 30.06.2025 तक शेष बैलेन्स 9508 रूपये	9508

17	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती पंखु चौधरी के पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 4474001700087035 में दिनांक 21.06.2025 तक शेष बैलेन्स 8,15,695 रूपये	8,15,695
18	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती पंखु चौधरी के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 43845404016 में दिनांक 25.06. 2025 तक शेष बैलेन्स 2,414 रूपये	2,414
19	संदिग्ध अधिकारी सुजानाराम चौधरी के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के बैंक खाता संख्या 61020568102 में दिनांक 30.06.2025 तक शेष बैलेन्स 10,293 रूपये	10,293
20	संदिग्ध अधिकारी सुजानाराम चौधरी के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के बैंक खाता संख्या 61162026270 में दिनांक 01.07.2025 तक शेष बैलेन्स 1,76,634 रूपये	1,76,634
21	संदिग्ध अधिकारी सुजानाराम चौधरी के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के एफडीआर खाता संख्या 61260955674 में दिनांक 24.02.2015 को 1,30,000 रूपये जमा करवाये गये।	1,30,000
	योग	**3,46,87,510**

परिशिष्ट ''स''

संदिग्ध अधिकारी श्री सुजानाराम चौधरी, परिवहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय सिरोही की चैक पिरियड वर्ष 2012 से खाना तलाशी दिनांक तक प्राप्त आय:-

कं सं.	**परिसम्पत्ति का विवरण**	**परिसम्पत्ति का मूल्य**
1	संदिग्ध अधिकारी श्री सुजानाराम चौधरी की वर्ष 2012 से वर्ष 2024-25 तक आयकर विवरणिका के अनुसार कुल सकल आय 74,57,983 में से कुल शुद्व आय 70,61,388	70,61,388
2	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती पंखु चौधरी की वर्ष 2016-17 से वर्ष 2024-25 तक आयकर विवरणिका के अनुसार कुल शुद्व आय 53,71,097	53,71,097
	योग	**1,24,32,485**

परिशिष्ट ''द''

संदिग्ध अधिकारी श्री सुजानाराम चौधरी, परिवहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय सिरोही की चैक पिरियड वर्ष 2012 से खाना तलाशी दिनांक तक किया गया व्यय:-

कं सं.	**परिसम्पत्ति का विवरण**	**परिसम्पत्ति का मूल्य**
1	संदिग्ध अधिकारी द्वारा अवधि 2012 से वर्ष 2024-25 तक सकल आय 74,57,983 रूपये का अनुमान में से रसोई एवं असत्यापनिक पर नियमानुसार कुल 24,61,134/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	24,61,134

2	संदिग्ध अधिकारी के दो पुत्र प्रकश एवं चेतन जिन्होने स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे है। संदिग्ध अधिकारी के बच्चों का पढाई व परिवहन का खर्च लगभग 3,00,000/ रूपये होने का अनुमान है।	3,00,000
	योग	27,61,134

- चैक अवधि से पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य **परिशिष्ट 'अ' का योगत्र शून्य**

- चैक अवधि के अन्त में मौजूद परिसम्पत्तियों एवं धनीय संसाधनों का कुल मूल्य-

  परिशिष्ट 'ब' का योग = 3,46,87,510/- रूपये

- चैक अवधि के दौरान खरीदी/अर्जित परिसम्पत्तियों एवं धनीय संसाधनों का कुल मूल्य -

  (परिशिष्ट ब का योग - परिशिष्ट अ का योग) = 3,46,87,510/- रूपये

- चैक अवधि के दौरान आरोपी व पत्नि की ज्ञात स्त्रोतों से शुद्ध आय

  परिशिष्ट स का योग = 1,24,32,485/-रूपये

- चैक अवधि के दौरान किये गये खर्चे की राशि -

  परिशिष्ट द का योग = 27,61,134/-रूपये

- चैक अवधि के दौरान अर्जित कुल परिसम्पत्तियां, धनीय संसाधन एवं व्यय -

  {(परिशिष्ट ब का योग - परिशिष्ट अ का योग) + परिशिष्ट द का योग}

  {3,46,87,510 + 27,61,134} = 3,74,48,644/-रूपये

- आय के ज्ञात स्त्रोतो से अधिक एवं अननुपातिक (disproportionate) कुल धनीय संसाधन, परिसम्पत्ति एवं खर्चे

[{(परिशिष्ट ब का योग - परिशिष्ट अ का योग)+ परिशिष्ट द का योग} - परिशिष्ट स का योग]

= [3,74,48,644 - 1,24,32,485] = 2,50,16,159 /-रूपये

- आय के ज्ञात स्त्रोतो से अधिक एवं अननुपातिक (disproportionate) कुल धनीय संसाधन, परिसम्पत्ति एवं खर्चो का प्रतिशत -

[{(परिशिष्ट ब का योग – परिशिष्ट अ का योग)+ परिशिष्ट द का योग} – परिशिष्ट स का योग] X100
―――――――――――――――――――――――――――――――――
परिशिष्ट स का योग

= 2,50,16,159/1,24,32,485 x 100 = 201.21 प्रतिशत

संदिग्ध अधिकारी श्री सुजानाराम चौधरी द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 2012 से पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियों का मूल्य ''शून्य'' है। (परिशिष्ट अ का योग)

संदिग्ध अधिकारी श्री सुजानाराम चौधरी द्वारा चैक अवधि वर्ष 2012 से खाना तलाशी तिथि के अन्त तक मौजूद परिसम्पत्तियों एवं धनीय संसाधनों का कुल मूल्य **3,46,87,510/ रूपये** अनुमानित है।(परिशिष्ट ब का योग)

संदिग्ध अधिकारी श्री सुजानाराम चौधरी द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 2012 से खाना तलाशी तिथि तक आरोपी व पत्नि की ज्ञात स्त्रोतों से शुद्ध आय **1,24,32,485/-रूपये** अनुमानित है।(परिशिष्ट स का योग)

संदिग्ध अधिकारी श्री सुजानाराम चौधरी द्वारा नियुक्ति वर्ष 2012 से खाना तलाशी तिथि तक किये गये कुल खर्चो की राशि **27,61,134/-रूपये** होने का अनुमान है। (परिशिष्ट द का योग)

नियुक्ति वर्ष 2012 से खाना तलाशी तिथि तक संदिग्ध अधिकारी श्री सुजानाराम चौधरी द्वारा अर्जित कुल परिसम्पत्तियां, धनीय संसाधन एवं किये गये खर्चो का योग **3,74,48,644/-रूपये** होना पाया गया। (परिशिष्ट ब व परिशिष्ट द का योग)

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री सुजानाराम चौधरी द्वारा चैक अवधि वर्ष 2012 से खाना तलाशी तिथि तक स्वयं के नाम, पत्नी के नाम एवं पुत्र के नाम से अर्जित धनीय संसाधन, परिसम्पत्ति एवं खर्चो के मुल्य के कुल योग **3,74,48,644/- रूपयें** में से संदिग्ध अधिकारी एंव उनकी पत्नी द्वारा अर्जित ज्ञात स्त्रोतों से आय **1,24,32,485/- रूपये** को घटाने पर **कुल 2,50,16,159 /रूपये (अक्षरे दो करोड पच्चास लाख सौलह हजार एक सौ उनसठ रूपये)** आय के ज्ञात स्त्रोतो से अधिक एंव अननुपातिक (disproportionate) होना गोपनीय सत्यापन से पाया गया है जो कि ज्ञात स्त्रोतो से अर्जित आय से लगभग **201.21 प्रतिशत** अधिक है।

संदिग्ध अधिकारी संदिग्ध अधिकारी श्री सुजानाराम चौधरी एवं इनकी पत्नी श्रीमती पंखु चौधरी व अन्य के विरूद्ध ज्ञात स्त्रोतो से आय से अधिक एंव अननुपातिक (disproportionate) परिसम्पत्तियां एवं धनीय संसाधन अर्जित करने एंव अर्जित करने में सहयोग करने का कृत्य अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988, धारा 120बी आईपीसी एवं धारा 13(1)(बी) सपठित 13(2),12 पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 के तहत अपराध घटित होना पाया जाता है। संदिग्धों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर उनके निम्न ठिकानों (1) आवासीय मकान ग्राम कुशालपुरा तहसील भीनमाल जिला जालोर **(2)** आवासीय मकान नं 267 सी खसरा नं 341 ग्राम पाल आशापूर्णा सिटी जिला जोधपुर (3) मकान संख्या 12/46 बी (मूल मकान संख्या 12/46 का पश्चिमी हिस्सा) राजस्थान आवासन मण्डल की चौपासनी हाउसिंग बोर्ड योजना जोधपुर (4) दुकान भूखण्ड संख्या 19 मसूरिया सेक्शन, 04 सेक्टर बी शास्त्रीनगर जोधपुर (5) मकान सख्या 36 अडडा लकडा योजना माउण्ट आबू, सिरोही (6) जिला परिवहन कार्यालय जिला सिरोही व अन्य संदिग्ध स्थानों की तलाशी लेना आवश्यक है। तलाशी के दौरान कई मूल्यवान परिसम्पत्तियों के दस्तावेज, अवैध/संदिग्ध लेनदेन के

दस्तावेज(बैंक/नकद), भारी मात्रा में नकदी, एफ.डी.आर, बैंक लॉकर्स, एन.एस.सी स्वर्ण आभूषण एवं अन्य मूल्यवान परिसम्पत्तियां मिलने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः संदिग्ध अधिकारी 1. श्री सुजानाराम चौधरी पुत्र श्री रेखाराम चौधरी निवासी कुशालपुरा तहसील भीनमाल जिला जालोर हाल परिवहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय सिरोही 2. श्रीमती पंखु चौधरी पत्नी श्री सुजानाराम चौधरी निवासी कुशालपुरा तहसील भीनमाल जिला जालोर व अन्य के विरूद्ध ज्ञात स्त्रोतो से आय से अधिक एंव अननुपातिक (disproportionate) परिसम्पत्तियां एवं धनीय संसाधन अर्जित करने एंव अर्जित करने में सहयोग करने का कृत्य अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988, धारा 120बी आईपीसी एवं धारा 13(1)(बी) सपठित 13(2),12 पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 के तहत अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(मूलचन्द)
पुलिस निरीक्षक
भ्रनिब्यूरो,इन्टें,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मूलचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे. जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 धारा 120बी आईपीसी एवं धारा 13(1)(बी) सपठित 13(2), 12 पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त 1. श्री सुजानाराम चौधरी पुत्र श्री रेखाराम चौधरी निवासी कुशालपुरा तहसील भीनमाल जिला जालोर हाल परिवहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय सिरोही 2. श्रीमती पंखु चौधरी पत्नी श्री सुजानाराम चौधरी निवासी कुशालपुरा तहसील भीनमाल जिला जालोर व अन्य के विरूद्ध अपराध संख्या ......191....../2025 दिनांक 24.07.2025 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर श्रीमान महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान श्री खींव सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय के सुपूर्द किया गया। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर जारी की गई।

24/7

(अनिल कयाल)
उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः- 1088-92 दिनांक :- 24/07/2025

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात, पाली।
2. श्रीमान अपर मुख्य सचिव परिवहन विभाग, जयपुर।
3. श्रीमान प्रमुख सचिव और परिवहन आयुक्त, जयपुर।
4. श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर।
5. श्री खींव सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो पाली-द्वितीय ।

24/7

(अनिल कयाल)
उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राजस्थान, जयपुर